संख्या: 131/2026/I/1414918/2026-68-5099/15/2025

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, बेसिक/अध्यक्ष,
बेसिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 प्रयागराज ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक : 03 अगस्त, 2026

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2026-25 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना हेतु प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-वेतन/अनुदान प्राप्ति/1/4164-67/2026-27, दिनांक 15.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2026-25 में सामूहिक बीमा योजना हेतु अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-''2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अंशदान- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद में प्राविधानित धनराशि के प्रथम 06 माह हेतु धनराशि रू0 14.25 लाख (रूपये चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''2202-01-800-03-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 28.50 लाख के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु धनराशि **रू0 14.25 लाख (रूपये चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्य/प्रयोजन हेतु किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेशों/दिशा निर्देशों की शर्तों एवं प्रतिबंधों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, धनराशि माहवार आवश्यकता के अनुसार ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(4) वित्तीय स्वीकृति द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) वित्तीय व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-''2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अंशदान- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
9- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।